विवि

निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 131/2014
दायरा दिनांकः–30.07.2014
निर्णय दिनांकः– 30.7.24

उनवान

1. मोहम्मद आसिफ खान आयु 40 वर्ष आत्मज फतेहजंग खान पठान जाति मुसलमान निवासी वार्ड नम्बर 17 छबडा तहसील छबडा जिला बारां राज.

बनाम

1. शफीउद्दीन खां आयु 79 वर्ष आत्मज सरफुरद्धीन जाति मुसलमान निवासी वार्ड नम्बर 15 छबडा तहसील छबडा जिला बारां राज.
2. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर कृषि शाखा छबडा द्वारा शाखा प्रबन्धक SBBJ (ADB) छबडा जिला बारां राज.
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां राज0

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,90,91,92,188 आर0 टी0 एक्ट0
निर्णय दिनांकः– 30.7.24
अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री भगवान कृष्ण बलरिया – वादी

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,90,91,92,188 आर.टी.ए विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय मे इस अशय का पेश किया गया कि वाके ग्राम कमालपुरा तहसील छबडा जिला बारां (राज0) में अवस्थित भूमि खसरा नम्बर 105 रकबा 4.02 खसरा नम्बर 106 रकबा 0.13 बिस्वा का हिस्सा 1/2 अवस्थित है। जिसका इन्द्राज संलग्न वाद पत्र जमाबन्दी सम्वत् 2066–2069 में रेवेन्यू रिकार्ड में अंकित है। उक्त आराजी को वादी द्वारा दिनांक 22.06.221 को जर्ये रज्स्टिर्ड बैनामें के माध्यम से तत्कालीन खातेदारी प्रतिवादी शफीउद्धीन खां आत्मज सरफुरद्धदीन जाति मुसलमान निवासी छबडा तहसील छबडा जिला बारां राज. से खरिद कर कब्जा खरीदार काबिज चला आ रहा है। प्रतिवादी शफीउद्धदीन खां द्वारा विवादित आराजी भूमि खसरा नम्बर 105 रकबा 4 बीघा 02 बिस्वा खसरा नम्बर 106 की रकबा 0.13 बिस्वा का बैचान दिनांक 19.04. 2023 को जर्ये रजिस्टर्ड बैनाम वादी को [...] बाद क्रेता वादी के नाम बैचान का इन्तकाल राजस्व कर्मचारियों द्वारा [...] खोलने के कारण प्रतिवादी शफीउद्धीन खां द्वारा जानबुझकर कपट पूर्वक नियति से इसी बात का नाजायज फायदा उठातें हुऐ सन् 2010 में [...] खसरा नम्बर 105 व [...] का हिस्सा 1/2 को अपनी अन्य आराजीयात के साथ बैंक छबडा के पास [...] कर दी जिसका नामान्तरण नम्बर 233 दिनांक 1.10.2010 SBBJ (ADB) छबडा के नाम गलत दर्ज कर दिया गया। वादी द्वारा प्रतिवादी खातेदार शफीउद्धीन खां से उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.09.19 16:45:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

विवादित भूमि को रहन मुक्त कराकर राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम दर्ज कराने बाबत् कई बार कहां परन्तु प्रतिवादी द्वारा इस बाबत् कोई अग्रिम कार्यवाही नही की इसलिए वादी राजस्व रिकार्ड में जमाबन्दी में अपना नाम बतोर खरीदार खातेदारी में दर्ज कराने का वैधानिक अधिकारी है जो अत्यन्त आवश्यक न्यायोचित है। प्रतिवादी जबरन बलपूर्वक वादीगण की भूमि पर कब्जा करने व अन्तरण करने व पुनः अन्य बैचान करने पर आमादा है भविष्य में वादी एवं प्रतिवादी के मध्य भविष्य में उक्त भूमि के खातेदारी अतिक्रमण के बाबत् कोई विवाद नही हो इसलिए वादी प्रतिवादी को निषेधाज्ञा से पाबन्द कराना चाहता है जो अत्यन्त आवश्यक व न्यायोचित है। वादी द्वारा कई बार प्रतिवादी से उक्त बैचान शुदा भूमि को रहन मुक्त कराने व वादी के नाम इन्तकाल दर्ज कराने के सन्दर्भ में कहों एवं श्रीमान तहसीलदार छबडा के यहां भी उक्त रजिस्टर्ड बैनामे के आधार पर उक्त विवादित आराजी को वादी के नाम दर्ज कराने को कहां एवं पुनः व अन्तिम बार दिनांक 15.07.2014 को प्रतिवादी शफीउद्धीन खां व श्रीमान तहसीलदार छबडा हल्का पटवारी रेवेन्यू कर्मचारियों से सम्पर्क कर निवेदन किया परन्तु प्रतिवादी द्वारा इस सन्दर्भ में कोई कार्यवाही नही करने एवं वादी के नाम इन्तकाल खोलने से साफ इन्कार होने व वादी द्वारा इस सन्दर्भ में किये गए सभी प्रयास विफल होने पर वादी द्वारा माननीय न्यायालय की शरण में आने के अलावा कोई विकल्प शेष नही रहा है। वाद कारण दिनांक 15.07.2014 को प्रतिवादी शफीउद्धीन खां व श्रीमान तहसीलदार सा0 छबडा हल्का पटवारी रेवेन्यू कर्मचरियों से सम्पर्क कर निवेदन किया परन्तु प्रतिवादी द्वारा इस सम्दर्भ में कोई कार्यवाही नही करने एवं वादी के नाम इन्तकाल खोलने से साफ इन्कार होने पर उत्पन्न हुआ। राजस्थान सरकार भूमि धारक होने के कारण इस वाद में पक्षकार प्रतिवादी क्रम 2 श्रीमान तहसीलदार सा0 छबडा को एवं विवादित आराजी वर्तमान में SBBJ (ADB) छबडा के नाम रहन दर्ज होने के कारण बैंक को इस वाद में पक्षकार प्रतिवादी क्रम 3 आवश्यक पक्ष का बनाया गया है। प्रतिवादी जबरन बलपूर्वक वादी की भूमि पर कब्जा करने व अन्तरण करने व पुनः अन्य को बैचान करने पर आमादा है वाद वादी आवश्यक प्रकृति का होने के कारण यह प्रार्थना पत्र धारा 80 (2) सी.पी.सी. के तहत प्रस्तुत है। उक्त आराजी वाके माल ग्राम कमालपुरा तहसील छबडा जिला बारां राज. माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार सीमा में अवस्थित होने से माननीय न्यायालय को इस वाद का श्रवणाधिकार प्राप्त है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से जवाब पेश नही होने पर प्रतिवादीगण का जवाब दिनांक 18.02.2020 को जवाब बन्द किया गया। वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल विक्रय पत्र दिनांक 19.04.2003 नकल जमाबन्दी ग्राम कमालपुरा सम्वत् 2067–70 खाता संख्या [illegible] की गई साक्ष्य वादी PW1 मो0 आसिफ खान के बयान करवाये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.09.19 16:45:35 IST
Reason: SelfAttested

बहस अभिभाषक वादी सुनी गई बहस के दौरान वकील वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। वकील वादी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम कमालपुरा तहसील छबडा में स्थित है। विवादित आराजी प्रतिवादी शफीउद्धीन खां द्वारा दिनांक 19.06.2003 को वादी मो0 आसिफ को बैचान कर कब्जा का दखल सम्भलाकर विक्रय पत्र सबरजिस्ट्रार छबडा

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

के यहां कराया तब से आज तक वादी ही उक्त आराजी पर बैहसियत काबिज चला आ रहा है उक्त रजिस्टर्ड बैचान का नामान्तरण समय पर नही खोलने के कारण प्रतिवादी शफीउद्धीन खां द्वारा नाजायज फायदा उठातें हुए सन् 2010 में उक्त आराजी खसरा नम्बर 105 रकबा 4 बीघा 03 बिस्वा खसरा नम्बर 106 रकबा 13 बिस्वा को अपनी अन्य भुमि के साथ बैंक में रहन रख दी जिसका नामान्तरण संख्या 233 दिनांक 01.10.2010 दर्ज किया गया। उक्त विवादित आराजी को प्रतिवादी कब्जा करने व अन्य को बैचान करने पर आमादा है वादी का वाद स्वीकार किया जावे एवं रजिस्टर्ड बेचान के आधार पर वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जावे।

बहस अभिभाषक वादी सूनी गई पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत नकल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 19.04.2003 के अनुसार शफीउद्धीन खां पुत्र सरफुदद्धीन जाति मुसलमान निवासी कमालपुरा तहसील छबडा द्वारा खसरा नम्बर 105 रकबा 4 बीघा 02 बिस्वा खसरा नम्बर 106 रकबा 13 बिस्वा में सम्पूर्ण हिस्सा 1/2 का बेचान मो0 आरिफ खान पठान पुत्र फतेहजंग खान पठान को बेचान किया जाना पाया जाता है प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम कमालपुरा सम्वत् 2067–70 खाता संख्या 5 के अनुसार अब्दुल जलील पुत्र अब्दुल वहाब खां शफीउद्धीन खां पुत्र सरफुदद्धीन खान मुसलमान के खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है इससे सह साबित होता है कि विवादित आराजी प्रतिवादी क्रम 1 के शामलाती खातेदारी दर्ज चली आ रही है इससे यह साबित होता है कि विवादित आराजी में प्रतिवादी क्रम 1 का 1/2 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है जिसमें से प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा खसरा नम्बर 105 व 106 की भूमि का 1/2 भाग वादी को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से बेचान किया गया जिसका नामान्तरण दर्ज नही होने से विवादित आराजी प्रतिवादी क्रम 1 के खातेदारी में दर्ज चली आ रही है वादी विक्रय पत्र के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है। वादी द्वारा उक्त भूमि को रहन मुक्त की घोषण का अनुतोष चाहा गया है जो इस न्यायालय के क्षैत्राधिकार में नही आता है। इसके लिए वादी सक्षम न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है। वादी का वाद रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम कमालपुरा तहसील छबडा के खसरा नम्बर 105 रकबा 4 बीघा 02 बिस्वा खसरा नम्बर 106 रकबा 13 बिस्वा में हिस्सा 1/2 पर वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर ए एस
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gujar
Date: 2024.09.19 16:45:35 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां (राज0)

डिक्री

वाद संख्या 131/2014	धारा 88,89,90,91,92,188 आर टी एक्ट	निर्णय दिनांक:– 30.07.2024
समक्ष : श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां		
उपस्थिति :अभिभाषकवादी:–श्री भगवान कृष्ण बलरिया –वादी	अभिभाषक प्रतिवादी:–श्री	

वाद शीर्षक

उनवान

1. मोहम्मद आसिफ खान आयु 40 वर्ष आत्मज फतेहजंग खान पठान जाति मुसलमान निवासी वार्ड नम्बर 17 छबडा तहसील छबडा जिला बारां राज.

बनाम

1. शफीउद्धीन खां आयु 79 वर्ष आत्मज सरफुरद्धीन जाति मुसलमान निवासी वार्ड नम्बर 15 छबडा तहसील छबडा जिला बारां राज.
2. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर कृषि शाखा छबडा द्वारा शाखा प्रबन्धक SBBJ (ADB) छबडा जिला बारां राज.
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां राज0

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम कमालपुरा तहसील छबडा के खसरा नम्बर 105 रकबा 4 बीघा 02 बिस्वा खसरा नम्बर 106 रकबा 13 बिस्वा में हिस्सा 1/2 पर वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है।

साथ ही नियमानुसार ..... रू0 का व्ययानुतोष ..... द्वारा ..... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एव न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक **30.07.2024** को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
छबडां जिला–बारां

व्ययानुतोष			
क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वदपत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषकपत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थनापत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिकअभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीसकमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		
10.	योग		

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.09.19 16:45:35 IST
Reason: SelfAttested